बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0स0 :–3/अ0प्र0–1–245/2012 06 /पटना, दिनांक :– 16.1.2020

श्री फुलेन्द्र प्रसाद राय, तत्कालीन कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, हरनौत के विरूद्ध सतुआ बांध से कैनाल भाया भगवानपुर अकैट पथ निर्माण में GSB, WBM Gr-II, WBM Gr-III में Metal की मात्रा कम एवं Dust की मात्रा अधिक पाये जाने, PCC ढ़लाई कार्य में Stone aggregate oversize पाये जाने, WBM compaction एवं Seal Coat मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने संबंधी आरोपों के लिए आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर कार्यालय आदेश संख्या–361–सह–पठित ज्ञापांक–2858 दिनांक 13.09.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त मुख्य अभियंता–4, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 2353 अनु0 दिनांक 27.06.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री राय के विरूद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित होने का निष्कर्ष संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री राय के बचाव बयान को आधार बनाते हुए विभागीय जांच पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन–3, ग्रामीण कार्य विभाग) द्वारा कोई जांच नहीं किये जाने का उल्लेख करते हुए संचालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। श्री राय के विरूद्ध गठित आरोप संख्या–1 एवं 2 के संदर्भ में विभागीय समीक्षोपरांत पाया गया कि पथ के स्थल निरीक्षणोंपरांत ही विभागीय जांच पदाधिकारी द्वारा पथ में GSB, WBM Gr-II, WBM Gr-III में Metal की मात्रा में कमी एवं PCC ढ़लाई कार्य में Stone aggregate over size पाये जाने संबधी तथ्य जांच प्रतिवेदन में अंकित किया गया था।

4. उक्त आलोक में संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमति व्यक्त करते हुए असहमति के उक्त बिन्दुओं पर विभागीय पत्रांक 2666 दिनांक 05.11.2018 द्वारा श्री राय से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

5. श्री राय के पत्र दिनांक 10.12.2018 द्वारा द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि उनके विरूद्ध सभी आरोप बिना किसी जांच परीक्षण के ही लगाया गया है, जो कि निराधार एवं तथ्यहीन है। श्री राय द्वारा विभागीय जांच पदाधिकारी के विरूद्ध ही जांच में निर्धारित प्रक्रिया नहीं अपनाने का आरोप लगाया गया एवं यह कहा गया कि सभी कार्य उच्च पदाधिकारियों के देख–रेख में विशिष्टियों के अनुरूप कराये गये हैं।

6. श्री राय द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत यह पाया गया कि पथ में विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं होने के कारण सरकार को वित्तीय क्षति हुई है। इस प्रकार समीक्षोपरांत श्री राय का द्वितीय बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

7. अतः उक्त के आलोक में श्री फुलेन्द्र प्रसाद राय, तत्कालीन कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, हरनौत सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पालीगंज के द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए इनके विरूद्ध बिहार

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secretary rwd bihar@gmail.com,& secy-reo-bih@nic.

सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)(संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14(vii) के तहत वर्गीकृत वृहत् शास्ति के रूप में **कालमान वेतन में तीन प्रक्रम निम्नतर पर सेवानिवृति तक अवनति एवं इस अवधि में वेतनवृद्धि देय नहीं होने** का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

15/01/2020

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–04/2017 336 /पटना, दिनांक :– 16.1.2020

प्रतिलिपि:– कोषागार पदाधिकारी, दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/01/2020

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–245/2012 336 /पटना, दिनांक :– 16.1.2020

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जिला पदाधिकारी, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालंदा/पटना/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत/पालीगंज/उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अवर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–4, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं श्री फुलेन्द्र प्रसाद राय, तत्कालीन कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, हरनौत सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पालीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/01/2020

अभियंता प्रमुख